प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 823 सन 2021
अनवान :–

1. तरसेमराम पुत्र मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. शामराम पुत्र मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. सालो पत्नी मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. परमजीतकोर पुत्री मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. बलवीरो पुत्री मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. मुख्यतार कौर पत्नी टेलाराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 08.10.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 91/91 की कुल 7.4120हैक भूमि में सयुक्त तौर से पुनुराम पुत्र दीनाराम के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पुनुराम पुत्र दीनाराम के नाम से दर्ज है पुनुराम पुत्र दीनाराम ने वाद भूमि जरिये बेयानामा खरीद की थी एवं पुनुराम पुत्र दीनाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत अपने भाई के पुत्रों के नाम से करवाई गई थी पुनुराम का देहान्त हो चुका है पुनुराम के देहान्त होने पर पुनुराम की वसीयत के अनसुार मसूराम , टेलाराम वसीयत के अनुसार पुनुराम की भूमि पाने के अधिकारी थे।

वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पति मुख्यतार कौर का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो विरास्तन से भूमि पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की पुनुराम पुत्र दीनराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, ता ,6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया वाद भूमि उनके पुर्वज पुनराम पुत्र दीनाराम के नाम से दर्ज है जिन्होने अपने जीवनकाल में अपने भाई के पुत्रों मसुराम , टेलाराम के पक्ष में वसीयत करवाई गई पुनुराम के देहान्त होने पर मसुराम व टेलाराम पुनुराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि के हकदार हुए मसुराम व टेलाराम का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो टेलाराम के नाम से दर्ज भूमि के अधिकारी है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 91/91 की कुल 7.4120हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से पुनुराम पुत्र दीनाराम के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा वसीयत के अनुसार वादी के पुर्वज पुनुराम ने वाद भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई थी एवं पुनुराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाई के पुत्र मसुराम एवं टेलाराम के नाम अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत करवाई जाकर पंजीवद्व करवाई गई थी पुनुराम का प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार देहान्त हो चुका है पुनुराम के देहान्त होने पर मसुराम एवं टेलाराम पुनुराम की वसीयत के अनुसार वाद भूमि के हकदार है प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार मसुराम एवं टेलाराम दोनो का देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 91/91 की कुल 7.4120हैक्ट भूमि में सयुक्त तौर से 309/1853 हिस्सा भूमि पुनुराम पुत्र दीनाराम के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट...–रामसरा.

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

1. तरसेमराम पुत्र मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. शामराम पुत्र मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. सालो पत्नी मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. परमजीतकोर पुत्री मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. बलवीरो पुत्री मसुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. मुख्यतार कौर पत्नी टेलाराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 823 सन 2021 निर्णय दिनांक– 08.10.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद बादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 जेएसएन के खाता संख्या 91/91 की कुल 7.4120हैक्‍ भूमि में सयुक्त तौर से 309/1853 हिस्सा भूमि पुनुराम पुत्र दीनाराम के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 अकेली 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट.....रामसरा...